समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 168 /आ0प्र0, दिनांक 23/07/2014

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रसाद सिंह,
भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– वर्ष 2014–15 के संभावित बाढ़ को देखते हुए नये नावों का क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस पत्र के साथ नये नावों की क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा की सूचना 05 (पाँच) प्रतियाँ एवं सी0डी0 संलग्न कर इसके साथ भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो प्रमुख समाचारपत्रों के अलावा मुंगेर संस्करण में भी प्रकाशन अविलम्ब कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/- 23.7.14
समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 168 /आ0प्र0, दिनांक 23/07/2014

प्रतिलिपि :– *प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।*

प्रतिलिपि :– *सभी समाहर्त्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने–अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार करने की कृपा की जाय।*

प्रतिलिपि :– *जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।*

प्रतिलिपि :– *जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को बेवसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।*

ह0/- 23.7.14
समाहर्त्ता,
मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

संभावित बाढ़ 2014 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर नाव की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सील बंद निविदा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा चिंहित कर अलग–अलग सील बंद लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नकद जिला नजारत प्रशाखा, मुंगेर में नाजीर रसीद प्राप्त कर जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13.08.2014 को अपराह्न में 02:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0	नाव का आकार	विशिष्टयों	अन्य विवरण
1	30'x7.5'x2.5'	1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई – 7.5' 3. तरी की लम्बाई – 25' 4. बगली की दीवार – तख्ता की मोटाई 1" तरी तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई 4"x2" 5. तरी पर सर्पोटर – 17 पीस एवं बगली की दीवार पर सर्पोटर – 17 पीस 6. रस्सी बाधने वाला खूंठा 3"x3" - 2 पीस 7. नाव की ऊपरी भाग सर्पोटर (गुढ़ा) –मोटाई 4"x3" - 5 पीस 8. बगली दीवार की उपरी भाग पर बंधन बत्ती–मोटाई 4"x1"	1. पूर्ण प्रजाति लकड़ी सखुआ असड़ा रहित 2. रस्सी, गहनी, अलकतरा एवं पीला रंग बार्डर पेन्ट सहित 3. दोनों नावों के ऊपरी भाग पर 6" मलंग
2	35'x9'x3'	1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई – 9' 3. तरी की लम्बाई – 31' 4. बगली की दीवार – तख्ता की मोटाई 1" तरी तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई 4"x2.5" 5. तरी पर सर्पोटर – 23 पीस एवं बगली की दीवार पर सर्पोटर – 23 पीस 6. रस्सी बाधने वाला खूंठा 4"x3" - 2 पीस 7. नाव की ऊपरी भाग सर्पोटर (गुढ़ा) –मोटाई 6"x3" - 6 पीस 8. बगली दीवार की उपरी भाग पर बंधन बत्ती–मोटाई 4"x1.25"	

निविदा की शर्ते :–

1. नाव की आपूर्ति निर्धारित समय पर निर्धारित माप दण्ड से करने हेतु एकरारनामा आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा। एकरारनामा का उल्लंघन करने पर आपूर्तिकर्त्ता का अग्रधन की राशि जप्त करते उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
2. नाव की आपूर्ति के पूर्व गठित जाँच कमिटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
3. आपूरित नावों की गुणवत्ता तथा विष्टियों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में क्रय स्वीकार नहीं होगा और इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
4. नाव की आपूरित संबंधित अंचल के चिन्हित घाट तक करनी होगी, जिसका भाड़ा देय नहीं होगा।
5. नाव की आपूरित गहनी एवं अलकतरा इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त परिचालन की अवस्था में की जायेगी।
6. आपूरित नाव की विपत्र का भुगतान आयकर, वाणिज्यकर एवं वैट इत्यादि कर की राशि कटौती के उपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक नाव को पीले रंग के अघुलनशील पेंट से किया जायेगा, ताकि ज्ञात हो सके कि यह सरकारी नावें है। इसके अतिरिक्त नाव पर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला का नाम मुंगेर, क्रम संख्या एवं लगान क्षमता अंकित रहेगा।
8. निविदादाता को अद्यतन अनुज्ञप्ति, चरित्र प्रमाण–पत्र, वाणिज्यकर, निबंधित वैट, आयकर विभाग का स्वच्छता प्रभाण पत्र एवं पैन नं0 प्राप्त है का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
9. निविदा की शर्तो में बदलने, रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।